

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL
ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)**

IN THE MATTER OF :

ORIGINAL APPLICATION NO. **154**/2023

NAVENDU MISHRA

- APPLICANT

//VERSUS//

MUNICIPAL COUNCIL OF SEONI (M.P.) & Others -

NON APPLICANTS

INDEX

Sr. No.	Particulars	Annexure	Pg Nos.
1.	Compilation No. I		2
2.	Synopsis and Chronology of Events.		3-6
3.	Original Application under section 14, 15 and 18 of the National Green Tribunal Act, 2010		8-14
4.	Affidavit in support of Original Application		15
5.	Compilation No. II		16
6.	List of Documents		17-18
7.	Vakalatnama		31

Place : Bhopal

Date : 12.10.2023



NAVENDU MISHRA
COUNSEL FOR THE APPLICANT
GIRJA KUND, SUBHASH WARD
SEONI (M.P.) – 480661
+919407054284
navendum12@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL
ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)**

IN THE MATTER OF :

ORIGINAL APPLICATION NO. **154**/2023

NAVENDU MISHRA

- **APPLICANT**

//VERSUS//

MUNICIPAL COUNCIL OF SEONI (M.P.) & Others -

NON APPLICANTS

COMPILATION NO. I

Sr. No.	Particulars	Annexure	Pg Nos.
1.	Synopsis and Chronology of Events.		3-6
2.	Original Application under section 14, 15 and 18 of the National Green Tribunal Act, 2010		8-14
3.	Affidavit in support of Original Application		15

Place : Bhopal

Date : 12.10.2023



NAVENDU MISHRA

COUNSEL FOR THE APPLICANT

GIRJA KUND, SUBHASH WARD

SEONI (M.P.) – 480661

+919407054284

navendum12@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL
ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)**

IN THE MATTER OF : ORIGINAL APPLICATION NO. **154**/2023
NAVENDU MISHRA - **APPLICANT**

//VERSUS//

MUNICIPAL COUNCIL OF SEONI (M.P.) & Others - NON APPLICANTS

SYNOPSIS

The present original application is filled raising substantial question relating to environment where non applicant is continuously flouting the settled environmental principle and violating the norms by carrying out illegal permanent construction in Dalsagar lake of Seoni City in Seoni District Madhya Pradesh. Which is registered as wetland under wetlands protection and management rules 2017. The non applicant initiated the permanent construction of a foot over bridge between the land and the central island of Dalsagar Lake, Seoni City in District Seoni, M.P.. To facilitate this construction, the Municipal Council dismantled the peripheral boundary of Dalsagar, to completely drain all the water. The construction of this permanent foot over bridge is a gross violation of the wetlands protection and management rules 2017, as Dalsagar lake comes under National Wetland List at number 1202. Wetlands are delicate ecosystems that play a crucial role in maintaining biodiversity, mitigating floods, providing clean water, and supporting various species of flora and fauna. In recognition of the importance of wetlands, the Wetland (Conservation and Management) Rule 2017 was put in place to safeguard these invaluable habitats and their associated benefits. The

construction activities taking place at Dalsagar Lake are a direct violation of the Wetland (Conservation and Management) Rule 2017.

Place : Bhopal

Date : 12.10.2023



NAVENDU MISHRA

COUNSEL FOR THE APPLICANT

GIRJA KUND, SUBHASH WARD

SEONI (M.P.) – 480661

+919407054284

navendum12@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL
ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)**

IN THE MATTER OF : ORIGINAL APPLICATION NO. **154**/2023

NAVENDU MISHRA - APPLICANT

//VERSUS//

MUNICIPAL COUNCIL OF SEONI (M.P.) & Others - NON APPLICANTS

CHRONOLOGY OF EVENTS

Date of Events	Particulars
26 September 2017	Gazette Notification Published by MoEF govt of India for Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017
Year 2019	Dalsagar Lake listed as wetland no 1202 under state Wetland authority of Madhya Pradesh
22/10/2022	Municipal Council of Seoni Passed resolution for construction of 25 feet statue on the Island of Dalsagar Lake.
30/01/2023	Municipal Council Seoni called tender for construction of foot over bridge on Dalsagar Lake.
06/03/2023	Municipal Council Seoni accept tender for construction of foot over

	bridge on Dalsagar Lake filled by Mr. Rahul Jain on 35% above rates.
12/04/2023	Municipal council Seoni passed resolution for construction of Foot over Bridge on Dalsagar lake at Seoni City with increment of 35%.
18/05/2023	General body of Municipal council accepted 35 percent above quotation for construction of foot over bridge at Dalsagar lake.
May 2023	Boundary of Dalsagar Lake dismantled and drained all the water making lake completely dry.
June 2023	Construction Started by the contractor.

Place : Bhopal

Date : 12.10.2023



NAVENDU MISHRA
 COUNSEL FOR THE APPLIANT
 GIRJA KUND, SUBHASH WARD
 SEONI (M.P.) – 480661
 +919407054284
navendum12@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL
ZONAL BENCH, BHOPAL (MP)**

IN THE MATTER OF: ORIGINAL APPLICATION NO **154**/2023

1. NAVENDU MISHRA - APPLICANT
GIRJA KUND SUBHASH WARD,
SEONI (M.P.) – 480661
EMAIL – navendum12@gmail.com

//VERSUS//

1. MUNICIPAL COUNCIL OF SEONI - NON APPLICANTS
NAGAR PALIKA CHOWK, G.N. ROAD,
SEONI (M.P.) 480661
EMAIL.- cmoseoni@mpurban.gov.in

2. GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
THROUGH DISTRICT COLLECTOR
COLLECTORATE SEONI (M.P.)
EMAIL :: dmseoni@nic.in

3. DISTRICT COLLECTOR SEONI
COLLECTORATE SEONI (M.P.)
EMAIL :: dmseoni@nic.in

**ORIGINAL APPLICATION UNDER SECTION 14, 15 AND 18 OF
THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010**

"It is respectfully submitted by the Applicant as follows:

1. That the Applicant is a social worker and an Advocate by profession who raises the voice for the rights of the public at large. The Applicant is a resident of District Seoni, Madhya Pradesh. The address of the Applicant is mentioned in the cause title above of the original application and can be used for the service of the notice if required.
2. That Non-Applicant No. 1 is the Municipal Council of Seoni–Dist Seoni, which is the nodal agency for the management of the Water Bodies and Wetlands within the jurisdiction of Municipal Council of Seoni. Non-Applicant No. 2 is the Government of Madhya Pradesh; Municipal Council of Seoni – Dist Seoni (M.P.), constituted under the Madhya Pradesh Municipal Council Act, 1956, governed by the Urban Administration and Development Department, Government of Madhya Pradesh, which monitors and approves the projects passed by Municipal Councils across the State. Non-Applicant No. 3 is the District Collector Seoni, who serves as the administrative and executive head of the Municipal Council.

3. FACTS OF THE CASE:

- 3.1 That Dalsagar Lake was built by the GOND KING RAJA DALPAT Shah during the 16th Century. This lake holds a significant place in the cultural and religious practices of the local community. It also serves as the largest source of

groundwater recharge for a major part of the city. Dalsagar Lake is a biodiversity hotspot and serves as a breeding ground for migratory birds during the winter season.

3.2 The Dalsagar Lake has been notified as a wetland and falls under the jurisdiction of the state Wetland authority of Madhya Pradesh, as per notification no-1202-year 2019, issued under the Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017. **(Annexure I)**

3.3 A small island located in the middle of this lake provides shelter and breeding ground for a variety of birds, reptiles, and other creatures, including winter migratory birds. Unfortunately, this fragile ecology of island has been damaged by cutting of trees and the construction of concrete foot over bridge by the Municipal Council of Seoni (M.P.). **(Annexure VII)**

3.4 This lake provides habitat and food for creatures living in lake and island as well. These creatures filter out pollutants to keep the water clean, and the trees along the lake boundaries provide shade to keep the water cool for fish and water bugs.

3.5 The Applicant, being a resident of the city of Seoni, witnessed certain construction activities near Dalsagar Lake. After inquiring about the same, it came to the Applicant's knowledge that Non-Applicant No. 1 had issued a Tender on 30/01/2023, with the last date to apply being 03/03/2023, and the tender

was scheduled to be opened on 06/03/2023 by Applicant No. 1. **(Annexure IV)**

- 3.6** After the completion of the tender process, Non-Applicant No. 1 awarded the work to Mr. Rahul Jain, a resident of Gandhi Ward Lakhnadon, Dist- Seoni (M.P.), at a rate 35% above the initial estimate. This increment was approved on 12/04/2023 by PIC Applicant No. 1. **(Annexure V)**
- 3.7** In May 2023, Mr. Rahul Jain commenced the construction of a foot overbridge on Dalsagar Lake. For providing land to Mr. Rahul Jain for the construction of the foot overbridge, Non-Applicant No. 1 and Non-Applicant No. 3 have damaged the boundaries of Dalsagar Lake, causing floods in the low-lying areas around the lake. Also on 08/05/2023 general assembly meeting of municipal council of Seoni accepted the resolution passed by President In Council meeting on 12/04/2023. **(Annexure VI)**
- 3.8** In June 2023, Mr. Rahul Jain began the work assigned by Non-Applicant No. 1. During the work, they constructed a road on the surface of Dalsagar Lake for their work and for the Bhoomi Poojan ceremony of the 25 feet statue of Raja Dalpat shah on Island of Dalsagar Lake. Resolution for installation of above mentioned statue being passed by general assembly on 28/10/2023 **(Annexure III)**
- 3.9** The contractor is using heavy machinery on the lake's ground. And to facilitate the smooth movement of these machineries

temporary road have been made , which are causing damage to the natural surface of Dalsagar Lake. These machineries are also being used on the island, resulting in the destruction of the sensitive ecology of the island and its biodiversity, including the loss of several-year-old trees. **(Annexure VII)**

3.10 For a long time, Dalsagar Lake was home for several aquatic species and was used for fish farming. During this entire process, the habitat for these aquatic species was completely destroyed. **(Annexure VII)**

3.11 Subsequently, the Applicant, being a woke activist and socialist, continuously working for the betterment of society and its residents, made several verbal representations to the local authorities. The Applicant requested them to stop the construction of the foot overbridge on Dalsagar Lake.

4. GROUNDS OF THE CASE ::

1. Because of Dalsagar Lake is registered under wet land list at 1202 number, under Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017 passed by Ministry of Environment and Forest. And according rule 4 sub rule 2 point V clearly stating that any kind of permanent structure being prohibited on registered wetlands. **(Annexure I & II)**
2. Because of Non applicant No -1 granted the work permit and called the tender to construct a permanent concrete foot over bridge and proposed a 25 feet tall statue on Dalsagar Lake which

comes under the violation of Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017.

3. Because due to continuous work from last six month the lake is completely dried and will remain so possibly next year too as monsoon is the only source of water for the lake. This condition is harmful for aquatic species and biodiversity of the lake.
4. Because of the construction of foot over bridge bank of the Dalsagar Lake has been destroyed. Also, due to the use of heavy machineries basic nature of wetland has been damaged, which helps to recharge ground water that is also a violation of Wetlands (Conservation and Management) Rules 2017.
5. Because, earlier applicant No 1 has constructed a permanent structure on the Island of the Dalsagar lake to be used as a restaurant but as the boat service provided to reach the island from the bank was not available round the year and was also costly that is why applicant no 1 has come up with idea to construct a foot over bridge. If the construction activities carried out by the Non-Applicant No.1 are not demolished, then the future commercial activities taking place on the premises so constructed will eventually result in discharge of sewage water, hard plastic, garbage etc. directly into the Dalsagar Lake causing it to be polluted. It is pertinent to point here that the Non-Applicant No. 1 has grossly violated the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution Act, 1974) & Environment (Protection) Act, 1986 by constructing foot overbridge on Dalsagar Lake.

6. Because violation of right to healthy environment is potentially a violation of the basic right to life. Environmental deterioration could eventually harm the quality of life of present and future generations and the constitutional (forty-second Amendment) Act, 1976 incorporated two significant articles viz. Article 48-A and 51A (g) thereby making the Indian Constitution the first in the world conferring constitutional status to the environment protection.
7. The Applicant craves leave to raise additional grounds at the time of adjudication of the matter.

5. LIMITATION/ CAUSE OF ACTION:

The application is within the limitation period as construction work of foot over bridge on wetland of dalsagar lake began on June 2023. And this original application is filled in October 2023.

6. INTERIM RELIEF:

The Applicant prays that the construction carried out on Dalsagar Lake should be stopped immediately. Heavy Machineries along with construction materials, construction equipment's and construction camp should be removed from Dalsagar Lake. An Interim stay order should be granted to stop the construction work, and a prohibiting order on any kind of construction activity till the matter is subjudice under the Hon'ble court.

7. RELIEF: In view of the above stated facts, submissions and documents, the Hon'ble Tribunal may be pleased to grant the following reliefs:

- (i) Direct the Non-Applicant authorities to demolish the construction carried out by the Non-Applicant No.1 in the vicinity of the Dalsagar Lake wetland area
- (ii) Direction be given to the non-applicant authorities to demarcate the Dalsagar Lake near the land in question and fence the same to avoid any such illegal construction activities
- (iii) Direct the Non-Applicant No.1 to impose wetland ECC/penalty on the violators for damaging the eco sensitive environment and for violating the environmental laws and the same may be used for restitution of the environment.
- (iv) Any other relief which the Hon'ble Tribunal deems fit in the interest of the environment.

8. An affidavit in support of the Original Application is filed along with.

Place : Bhopal

Date : 12.10.2023



NAVENDU MISHRA

COUNSEL FOR THE APPLICANT

GIRJA KUND, SUBHASH WARD

SEONI (M.P.) – 480661

+919407054284

navendum12@gmail.com

NOTARIAL STAMP Rs. 50/-

10 OCT 2023

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)

IN THE MATTER OF :

ORIGINAL APPLICATION NO.154/2023

NAVENDU MISHRA

- APPLICANT

//VERSUS//

MUNCIPAL COORPORATION OF SEONI (M.P.) & Others - NON

APPLICATNTS

AFFDAVIT

I, Navendu Mishra S/o Late Badri Prasad Mishra, aged about 40 years R/o Girja Kund Subhash Ward, Seoni (M.P.) 480661, do hereby solemnly affirm on oath as under :

1. That I am the applicant in the instant original application and as such, I am well conversant with the fact and therefore competent to swear this affidavit.
2. That, the accompanying applicant has been drafted on my instruction and I fully understand the content of this application.
3. That the contents from the beginning to the end of the accompanying application are true to my knowledge and believed to be true.



[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

I the above named deponent do hereby verified that the contents of the affidavit of the above are true and correct no material fact has been suppressed.

Signed and verified on the Day of 10 Oct 2023 at Seoni (M.P.)

[Signature]
DEPONENT



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL
ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)**

IN THE MATTER OF : ORIGINAL APPLICATION NO. **154**/2023

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL
ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)**

IN THE MATTER OF : ORIGINAL APPLICATION NO. /2023

NAVENDU MISHRA - APPLICANT

//VERSUS//

MUNICIPAL COUNCIL OF SEONI (M.P.) & Others - NON APPLICANTS

COMPILATION NO. II

Place : Bhopal

Date : 12.10.2023



NAVENDU MISHRA
COUNSEL FOR THE APPLICANT
GIRJA KUND, SUBHASH WARD
SEONI (M.P.) – 480661
+919407054284
navendum12@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL
ZONAL BENCH, BHOPAL (M.P.)**

IN THE MATTER OF :

ORIGINAL APPLICATION NO. **154**/2023

NAVENDU MISHRA

- APPLICANT

//VERSUS//

MUNICIPAL COUNCIL OF SEONI (M.P.) & Others -

NON APPLICANTS

List Of Documents

Sr.No.	Particulars	Annexure	Pg.No.
1	Wetland Registration Screen shot from state wetland authority website map	I	19
2	Wetlands protection and management rules 2017	II	20
3	Municipal Council of Seoni's General assembly Resolutions for construction of 20-25 feet long statue on Island of Dalsagar Lake Dated 22/10/2022	III	21
4	Municipal Council of Seoni's tender call Dated 30/01/2023	IV	22-23
5	Municipal Council of Seoni President in Council resolution dated 12/04/2023	V	24

6	Municipal Council of Seoni Special Session's resolution dated 18/05/2023	VI	25
7	Wetland site and construction site photographs.	VII	26-27
8	Wetland site old photograph	VIII	30

Place : Bhopal

Date : 12.10.2023



NAVENDU MISHRA

COUNSEL FOR THE APPLICANT

GIRJA KUND, SUBHASH WARD

SEONI (M.P.) – 480661

+919407054284

navendum12@gmail.com

(ANNEXURE I)



CLOSE

Wetland Polygon (1:10K) [2019]

Wetland code:	1202
Wetland name:	
Aquatic Vegetation:	Yes
Turbidity:	Medium
Area (ha):	18
Wetland Type:	Inland - Man-made - Tank/Pond
Location:	

Sivni_rai_gp

- (ज) "आर्द्रभूमि परिसर" से दो या दो से अधिक पारिस्थितिकीय और जलीय समीपस्थ आर्द्रभूमियां तथा जिनमें उनसे जुड़े नाले/वाहिकाएं सम्मिलित हो सकती हैं, अभिप्रेत हैं;
- (झ) "आर्द्रभूमियों का युक्तियुक्त उपयोग" से सतत विकास के संदर्भ में पारिप्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त पारिस्थितिकीय गुणों का रख-रखाव अभिप्रेत है;
- (ञ) "प्रभावित जोन" से आर्द्रभूमि या आर्द्रभूमि परिसर के आवाह-क्षेत्र का वह भाग जिस पर विकासात्मक कार्यकलापों के कारण पारिप्रणाली ढांचे, तथा पारिप्रणाली सेवाओं में प्रतिकूल परिवर्तन पड़ता है।
- (2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. नियमों का लागू होना.—ये नियम निम्नलिखित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों को लागू होंगे, अर्थात्:-

- (क) रामसर अभिसमय के अधीन 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' के रूप में वर्गीकृत आर्द्रभूमियां;
- (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिमूचित आर्द्रभूमियां।

परंतु ये नियम समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, राज्य वन अधिनियम तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पड़ने वाली आर्द्रभूमियों को लागू नहीं होंगे।

4. आर्द्रभूमियों में क्रियाकलापों पर निर्बंधन.—(1) आर्द्रभूमि का संरक्षण और प्रबंध, आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित 'युक्तियुक्त उपयोग' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।

(2) आर्द्रभूमि के भीतर, निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर-आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन;
- (ii) किसी उद्योग को स्थापित करना और विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना;
- (iii) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन या भंडारण या निपटान; परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाला ई-अपशिष्ट;
- (iv) ठोस अपशिष्ट का पाटन;
उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव वस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहिष्कारों का निस्सारण;
- (v) किसी स्थायी प्रकृति का किसी निर्माण मित्राव नाव घाटों के, पचास मीटर के भीतर इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पिछले दस वर्षों में प्रेक्षित बाढ़ के औसतन उच्च स्तर से गणना की जाएगी; और
- (vi) अवैध शिकार।

परंतु केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी कार्यकलाप के विलोपन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी।

5. आर्द्रभूमि प्राधिकरण.—(1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) राज्य सरकार के पर्यावरण/वन विभाग का भारसाधक मंत्री या आर्द्रभूमि के विषय से संबंधित कार्य कर रहे भारसाधक मंत्री - अध्यक्ष;
- (ii) राज्य का मुख्य सचिव या समतुल्य अपर मुख्य सचिव - उपाध्यक्ष;
- (iii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (iv) वन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (v) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (vi) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (vii) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;



कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला-सिवनी
नगर पालिका बौराहा, एन.एच.- 7 मार्ग, जिला-सिवनी (म.प्र.) 480661
Email Id : cmosconi@mpurban.gov.in Phone : 07692-292301

कार्यवृत्त परिषद का साधारण सम्मेलन बैठक दिनांक 28/10/2022 की

खण्ड सत्यप्रतिलिपि

प्रस्ताव क्रमांक- 03

निर्णय

दलसागर तालाब टापू में दलपतशाह जी की प्रतिमा स्थापना एवं स्टेचू निर्माण कार्य (लागत राशि- 130 लाख) बाबत विचार एवं निर्णय ।

:- प्रकरण प्रस्तुत । सदन को अवगत कराया गया कि, जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 10/12/2019 में लिये गये निर्णय एवं माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र सिवनी के द्वारा की गयी मांग अनुसार दलसागर तालाब टापू में राजा दलपतशाह जी की प्रतिमा स्थापना किया जाना है । माननीय विधायक जी द्वारा दलसागर तालाब में म्युजिकल फाउंटैन एवं लाईट साउण्ड शो के कार्य को स्वीकृत कराया गया है । दलसागर के टापू में मूर्ति स्थापना एवं म्युजिकल फाउंटैन एवं लाईट साउण्ड शो से यह क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकेगा ।

जिस पर उपरिथत सदस्यों द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया गया कि, दलसागर तालाब टापू में कांस (मिश्र धातु) की 20-25 फीट ऊंची राजा दलपतशाह जी की प्रतिमा की स्थापना की जाये । प्रतिमा स्थापना एवं प्रतिमा स्थापना हेतु स्तम्भ (प्लेटफार्म) का निर्माण कराये जाने हेतु कुल लागत राशि- 130 लाख रुपये अनुमानित है । प्रतिमा स्थापना के कार्य में यदि आवश्यकता हो तो तालाब के पानी की निकासी कर खाली कराया जाये । तालाब खाली होने की स्थिति में तालाब के चारों तरफ फैंली गंदगी की सफाई एवं सिल्ट निकालने का कार्य तत्समय कराये जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अतः राजा दलपतशाह जी की प्रतिमा की स्थापना एवं प्रतिमा स्थापना हेतु स्तम्भ (प्लेटफार्म) का निर्माण कराये जाने में लगने वाली राशि- 130 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की जाती है । प्रस्तावित व्यय राशि- 130 लाख रुपये उपलब्ध विधायक निधि/शासन मद/निकाय निधि से किया जावे । प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावे ।

सत्यप्रतिलिपि

प्रमाणित प्रति

सहायक लेखीयक/अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिवनी

कार्यालय नगरपालिका प्रशासन, सिवनी (म0प्र0)
आठवी ई-निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक / 5044 / न.पा.प. / 2023

सिवनी, दिनांक / 30/01 / 2023

म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीकृत पंजीकृत प्रणाली में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से म.प्र. नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के आईएसएसआर 10 मई 2012 की दर अनुसूची के आधार पर निविदाये प्रतिशत दर पर आनलाईन आमंत्रित की जाती है। टेंडर डाक्यूमेंट ऑनलाईन पोर्टल <https://mptenders.gov.in/> में निर्धारित शुल्क भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा। निविदाये टेंडर की निर्धारित तिथि (की-डेट) के अनुसार खोली जावेगी।

कार्यों का विवरण

क्रं.	टेंडर क्रमांक	प्रस्तावित निर्माण कार्य का नाम	कार्य की लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2023_UAD_248170	दलसागर-तालाब टापू का सौदर्यीकरण एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य	13993998	140000	12500	6 माह	C and Above or new pwd registration required category

नोट :-

- इच्छुक निविदाकार निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in/ पर देख सकते हैं।
- ऑनलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 01/02/2023 प्रातः 10:30 से दिनांक 03/03/2023 सायं 5:30 बजे तक क्रय कर सकते हैं।
- ऑन लाईन बिड सबमिशन दिनांक 01/02/2023 प्रातः 10:30 से दिनांक 03/03/2023 सायं 5:30 तक जमा कर सकते हैं।
- ऑन लाईन निविदा दिनांक 06/03/2023 को खोली जावेगी।
- निविदा में अमानत राशि का भुगतान ऑनलाईन ही मान्य होगा।

(श्री शफीक खान)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद सिवनी

(श्रीमति डाली डागोर)
उपाध्यक्ष
नगर पालिका परिषद सिवनी

(श्रीमति आकांक्षा शीबू सेंगर)
सभापति, लोक निर्माण उद्यान
विद्युत एवं यांत्रिकी समिति
नगर पालिका परिषद सिवनी

(पूजा बुनकर)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिवनी

नियम एवं शर्तें :-

- वर्तमान आयकर एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- टापू का सौदर्यीकरण एवं फुट ब्रिज का निर्माण दल सागर तालाब के अंदर पाईल फाउन्डेशन/स्ट्रक्चर निर्माण का कार्य किया जावेगा। निकाय द्वारा फुट ब्रिज निर्माण के समय दलसागर तालाब के पानी की निकासी कर दी जावेगी। अर्थात् तालाब में पानी नहीं रहेगा।
- निविदा में अमानत राशि का भुगतान ऑनलाईन ही मान्य होगा। प्रथम लिफाफा (Envelope-A) निर्धारित अमानत राशि की ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन रिसीप्ट NEFT/RTGS प्रति, पेन, ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, 100 रु. के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में एफिडेविट, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ठेकेदार का ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
- ठेकेदार की निविदा दर स्वीकृति के उपरांत अनुबंध सम्पादित करने के उपरांत ही कार्यदेश दिया जावेगा।
- सूची में वर्णित निर्माण कार्यों के प्रत्येक निर्माण कार्यों की निविदा वैधता अवधि 120 दिवस रहेगी।
- नगर पालिका के स्पेशिफिकेशन तथा आवश्यकता अनुसार लोक निर्माण विभाग के मेनुअल का पालन करना होगा।
- निविदाकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/शासन के समस्त नियमों एवं निविदा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। दर स्वीकृति उपरांत अनुबंध निष्पादन के पूर्व 5 प्रतिशत अमानत राशि की एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार के बिल में से 5 प्रतिशत सुरक्षा निधि 1 प्रतिशत श्रमउपकर एवं 2 प्रतिशत टीडीएस (जीएसटी) की कटौती की जावेगी।
- निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त वे सभी नियम शर्तें/आदेश/निर्देश लागू होंगे जो इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हैं एवं भविष्य में जारी होंगे तथा वे शर्तें/नियम लागू होंगी, जो त्रुटिवश इस निविदा में जारी करते समय छूट गई हैं।
- निविदा में जो भी संशोधन होगा वह ऑनलाईन किया जावेगा। समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
- समस्त मटेरियल तथा कांक्रिट की प्रयोगशाला परीक्षण उपरांत ही चलित देयक का भुगतान किया जावेगा। कांक्रिट का प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय की प्रयोगशाला की प्रस्तुत करनी होगी।

12. निर्माण कार्य पूर्ण होने के 5 वर्ष पश्चात ठेकेदार के द्वारा जमा अमानत राशि एवं देयक से काटी गई सुरक्षा निधि वापस की जावेगी ।
13. लागत राशि में कम या अधिक निविदा प्राप्त होने पर निविदा दर जोड़ने पर जो बिल राशि प्राप्त होगी उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी राशि पृथक से ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा ।
14. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर डिजाईन का अनुमोदन शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय से कराने का दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा । जिसका समस्त भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिवनी

पृ. क्रमांक/5045 /न.पा.प./2023

सिवनी, दिनांक/30/01/2023

प्रतिलिपि :-

1. मान. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महोदय न.पा.प. सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर को भेजकर लेख है कि, अपने क्षेत्रान्तर्गत नगरीय निकायों को सूचित किये जाने हेतु ।
3. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र की ओर सूचनार्थ ।
निविदा सूचना कम से कम स्थान पर अपने दैनिक समाचार पत्र में निविदा दिनांक पूर्व एक दिन के लिये प्रकाशित कर बिल भुगतान के लिये प्रस्तुत करें एवं बिल के साथ केन्द्र/राज्य स्तर के द्वारा स्वीकृत दर की सूची भी प्रस्तुत करें ।
4. कार्यालय कलेक्टर/नगर पालिका परिषद सिवनी/राजस्व कार्यालय, न.पा.प./लोक निर्माण विभाग सिवनी के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिवनी



कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला-सिवनी
नगर पालिका चौसाहा, एन एच - 7 मार्ग, जिला-सिवनी (म.प्र.) 480661
Email Id : cmoseconi@mpurban.gov.in Phone : 07692-292301

प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल की बैठक दिनांक 12/04/2023 की

खण्ड सत्यप्रतिलिपि

प्रस्ताव क्रमांक - 30

निर्णय

झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत दलसागर टापू का सौंदर्यीकरण कार्य एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य (लागत 13993998) हेतु टेकेदार श्री राहुल जैन गांधी वार्ड लखनादौन की प्राप्त न्यूनतम निविदा दर 35 प्रतिशत अधिक (राशि 18891897.30) एस.ओ.आर. (10 मई 2012) की स्वीकृति के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण प्रस्तुत। नस्ती का अवलोकन किया गया नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा झीलों एवं तालाबों के संरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत दलसागर टापू का सौंदर्यीकरण कार्य एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य (लागत 13993998) हेतु ई-टेंडर क्रमांक 248170 दिनांक 30/01/2023 के माध्यम से निविदा आमंत्रण की गई थी उल्लेखित निर्माण कार्य निविदा में टेकेदार श्री राहुल जैन गांधी वार्ड लखनादौन की निविदा दर -35 प्रतिशत अधिक एस.ओ.आर. (राशि 18891897.30) एस.ओ.आर. (10 मई 2012) न्यूनतम एवं एल-1 श्रेणी प्राप्त हुई है। नगर पालिका निविदा समिति की बैठक दिनांक 31/03/2023 में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर को स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर उल्लेखित निर्माण कार्य हेतु टेकेदार श्री राहुल जैन गाँधी वार्ड लखनादौन जिला सिवनी की प्राप्त न्यूनतम निविदा दर -35 प्रतिशत अधिक एस.ओ.आर. (10 मई 2012) की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की जाती है। अतिरिक्त व्यय राशि की भुगतान सम्वन्धी कार्यवाही शासन अनुदान/विधायक निधि/नगर पालिका निधि से किया जावे तथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उपरोक्तानुसार निर्णय लिया जाकर संकल्प पारित किया जाता है।

सत्यप्रतिलिपि

प्रमाणित प्रति
सहायक नगर प्रमुख
नगर पालिका सिवनी



कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला-शिवनी
नगर पालिका चौराहा, एन.ए.व. - 7 मार्ग, जिला-शिवनी (म.प्र.) 480661
Email Id: cmoseoni@mpurban.gov.in Phone: 07692-292301

कार्यवृत्त परिषद का विशेष सम्मेलन की बैठक दिनांक 18/05/2023 की

खण्ड सत्यप्रतिलिपि

प्रस्ताव क्रमांक- 05

निर्णय

दलसागर तालाब टापू का सौन्दर्यीकरण एवं फ्लूटब्रिज निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत निविदा दर के आधार पर अतिरिक्त व्यय राशि 48.98 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

प्रकरण प्रस्तुत। सदन की अवगत कराया गया कि कार्यालयीन आठवीं ई-निविदा आमंत्रण में झीलो एवं तालाब के संरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत दलसागर तालाब टापू का सौन्दर्यीकरण एवं फ्लूटब्रिज निर्माण कार्य (निविदा लागत 13993998.00) कार्य हेतु निविदा दर 35 प्रतिशत अधिक एस.ओ.आर. (राशि 18891897.30) न्यूनतम प्राप्त हुई जिसकी स्वीकृति पी.आई.सी. बैठक दिनांक 12/04/2023 के प्रस्ताव क्रमांक 30 में सर्वसम्मति से प्रदान हो चुकी है। उल्लेखित कार्य में स्वीकृत निविदा दर के आधार पर अतिरिक्त राशि 48.98 लाख व्यय होगी।

अतः उल्लेखित कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम निविदा दर स्वीकृति पुष्टि की जाती है एवं अतिरिक्त व्यय राशि की मांग विधायक निधि/राज्य शासन अनुदान/निकाय मद से किया जावे। प्रकरण में कार्यवाही करें। उपरोक्तानुसार निर्णय लिया जाकर संकल्प पारित किया जाता है।

सत्यप्रतिलिपि

प्रमाणित प्रति

सहायक लोक निर्माण अधिकारी
नगर पालिका परिषद, शिवनी

प्रमाणित प्रति

नगर पालिका परिषद, शिवनी
मुख्य अधिकारी









(ANNEXURE VIII)

**OLD PHOTOGRAPH OF DALSAGAR LAKE BEFOR CONSTRUCTION
WORK BEGAN**



अधिवक्ता-पत्र

(यकालत नामा)

(अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत विरचित नियमों का नियम 4 (1))

सक्षम न्यायालय : ...National Green Tribunal

प्रकरण / कार्यवाही क्रमांक : 154-2023

वादी/अपीलाधी/दावाकर्ता/प्राधी/आवेदक : ...विन्दु मिश्रा...

...विन्दु मिश्रा... प्रतिवादी/प्रत्यधी/अनावेदक

मैं/हम अधोनामित "वादी/अपीलाधी/दावाकर्ता/प्राधी/आवेदक अथवा प्रतिवादी/प्रत्यधी/अनावेदक एतद् अधोनामित अधिवक्तागण को उपरोक्त प्रकरण/कार्यवाही, जिसमें पुनर्स्थापना, एकपक्षीय आदेश तो निरस्त करने, सुधार संशोधन, पुनर्विलोकन तथा इन कार्यवाहियों में पारित आदेशों को वापस लेने हेतु आवेदन पत्र सम्मिलित है, इस न्यायालय में अथवा किसी अन्य न्यायालय में, जिसमें इसका विचारण/श्रवण/कार्यवाही की जानी हो तथा अपीलीय, पुनरीक्षण अथवा निष्पादन न्यायालय में भी इस प्रकरण/कार्यवाही से उद्भूत कार्यवाही में तय किये गये निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार उपस्थित होने, कार्य करने, अभिवचन करने तथा उक्त प्रकरण में जैसी आवश्यकता हो अथवा उसके उचित अभियोजन/बचाव हेतु सभी प्रक्रमों पर अभिवच, अपील प्रत्याक्षेप, याचिका, आवेदन पत्र, शपथ पत्र अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों, जो कि उस प्रकरण अथवा कार्यवाही के उचित अभियोजन अथवा बचाव हेतु आवश्यक समझे जायें, पर हस्ताक्षर करने अथवा प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त करता, लगाता तथा अधिकृत करता हूँ/करते हैं एवं उसके/उनके द्वारा किये गये कार्यों की पुष्टि एवं अनुसमर्थन मेरे/हमारे द्वारा किये गये कार्यों के रूप में भी करने हेतु सहमत हूँ/हैं।

इसके साक्ष्य स्वरूप मैं/हम इस प्रपत्र पर जिसकी विषय-वस्तु/अन्तर्वस्तु को मैंने/हमने भली-भांती समझ लिया है, आज दिनांक..... 12/09/2023..... माह..... 09..... 2023..... को अपने हस्ताक्षर करता हूँ। करते हैं यकालतनामा निम्नादित करने वाले प्रत्येक पक्षकार का विवरण :-

क्रं.	नाम पिता/पति	पंजीकृत पता	ई-मेल पता (यदि हो तो)	फोन नं. (यदि हो तो)	प्रकरण में हैसियत	पूर्ण हस्ताक्षर अथवा अंगूठ चिन्ह
1	2	3	4	5	6	
1.	विन्दु मिश्रा	विन्दा, 23 किबनी	narendu m12@gmail .com	9407054284	आवेदक	
2.						
3.						
4.						
5.						

स्वीकृत

यकालतनामा स्वीकार करने वाले प्रत्येक अधिवक्ता का विवरण

क्रं.	पूर्ण नाम तथा राज्य अधिवक्ता पता	निर्वाह हेतु	ई-मेल पता (यदि हो तो)	फोन नं. (यदि हो तो)	पूर्ण हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	
1.	विन्दु मिश्रा	MP 1782421	narendu m12@gmail .com	9407054 284	
2.					
3.					
4.					

जो लागू न हो उसे काट दें।

अंगूठ चिन्हों को उपरोक्तनुसार विवरण प्रस्तुत करते हुये किसी साक्षर व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा।